क्रम-संख्या–80(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 मई, 2025

वैशाख 18, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग–1

संख्या 1156/26-1–2025

लखनऊ, 8 मई, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–38

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली, 1997 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 में नये नियमों का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली, 1997 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम–3 में विद्यमान उप नियम (क) और (ज) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम (क क) और (ज ज) बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:–

क–(क क) "अधिनियम" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

ज–(ज ज) नागरिकों के "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

नियम–4 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

सेवा का संवर्ग–(1) सेवा की संख्या और उसमें पद की प्रत्येक श्रेणी ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए।

(2) सेवा की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप–नियम (1) के तहत अलग–अलग आदेश पारित न हो जाएं, निम्नानुसार होंगी :–

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	समाज कल्याण पर्यवेक्षक	282	02	284

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

सेवा का संवर्ग–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :–

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	समाज कल्याण पर्यवेक्षक	250	–	250

नियम–6 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

आरक्षण–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भर्ती के समय लागू सरकार के आदेश के अनुसार होगा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

आरक्षण–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 और भर्ती के समय सरकार के प्रवृत्त आदेशों के अनुसार भी होगा।

नियम–8 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

शैक्षणिक योग्यता–सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए: –

पद	शैक्षिक योग्यता
समाज कल्याण पर्यवेक्षक	हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, यूपी की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

शैक्षणिक अर्हता–सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:–

पद	शैक्षिक अर्हता
समाज कल्याण पर्यवेक्षक	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। (2) एन0आई0ई0एल0आई0टी0 द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाण–पत्र।

6—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम—10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:— नियम—10 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु—सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उस कैलेंडर वर्ष के जुलाई के पहले दिन जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाती हैं, 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:	आयु—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:
बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जा सकती है, उतने वर्षों से अधिक होगी या निर्दिष्ट की जा सकती है।	परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

7—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम—15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:— नियम—15 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती की प्रक्रिया— (1) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु आवेदन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में मंगाया जायेगा।	**सीधी भर्ती की प्रक्रिया—** सेवा में समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।
(2) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध होने के बाद, आयोग नियम—6 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के उचित प्रतिनिधि को सुरक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतने उम्मीदवारों को बुलाएगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक पर खरे उतरे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे।	

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों से प्रकट उनकी दक्षता के क्रम में उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या की सिफारिश करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (लेकिन 25% से अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।	

नियम–20 का प्रतिस्थापन

8–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वेतनमान–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को स्वीकार्य वेतनमान ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें।	**वेतनमान**–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इन नियमों के प्रारंभ के समय वेतनमान नीचे दिया गया है:–	(2) इस नियमावली के प्रारंभ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं:–

पदों का नाम	वेतनमान
समाज कल्याण पर्यवेक्षक	950–20–1150–EB–25–1500

पदों का नाम	वेतनमान
समाज कल्याण पर्यवेक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल–3 21,700–69,100

नियम–22 का निकाला जाना

9–नियमावली में, विद्यमान नियम–22 को निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1156/XXVI-1-2025, dated May 8, 2025 :

No. 1156/XXVI-1-2025

Dated Lucknow, May 8, 2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Social Welfare Department, Social Welfare Supervisor Service Rules, 1997.

THE UTTAR PRADESH SOCIAL WELFARE DEPARTMENT, SOCIAL WELFARE SUPERVISOR SERVICE (FIRST AMENDEMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Social Welfare Department, Social Welfare Supervisor Service (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force at once.

Insertion of new rules in rule-3

2. In the Uttar Pradesh Social Welfare Department, Social Welfare Supervisor Service Rules, 1997 hereinafter referred to as the said rules, in rule 3 after existing sub-rule (a) and (h), the following sub-rule (aa) and (hh) shall be *inserted*, namely:-

a. (aa) "ACT" means The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

h. (hh) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in schedule I of the Act, as amended from time to time.

3. In the said rules, *for* existing rule-4 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

Existing rules

Cadre of service- (1) The strength of the service and of each category of post therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same and passed under sub-rule (1) be as under:-

Sl. No.	Name of Post	Number of Post		
		Permanent	Temporary	Total
1	Social Welfare Supervisor	282	02	284

COLUMN-2

Rules hereby substituted

Cadre of service- (1) The strength of the service and of each category of post therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same and passed under sub-rule (1) be as under:-

Sl. No.	Name of Post	Number of Post		
		Permanent	Temporary	Total
1	Social Welfare Supervisor	250	-	250

Substitution of rule-6

4. In the said rules, for existing rule-6 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rules*	COLUMN-2 *Rules hereby substituted*
Reservation- Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the order of the Government in force at the time of the recruitment.	**Reservation-** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the "Act" and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex. Servicemen) Act, 1993, and also in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Economically Weaker Section's) Act, 2020, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Substitution of rule-8

5. In the said rules, for existing rule-8 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

Existing rules

Academic Qualification- A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualification:-

Post	Qualification
Social Welfare Supervisor	Must have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, U.P. or an examination recognized by the Government as equivalent thereto.

COLUMN-2

Rules hereby substituted

Academic Qualification- A candidate for direct recruitment to the posts in the service must possess the following qualification:-

Post	Qualification
Social Welfare Supervisor	(1)Must have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, U.P. or an examination recognized by the Government equivalent thereto. (2) CCC Certificate in Computer Operations awarded by NIELIT or as equivalent certificate recognized by the Government.

6. In the said rules, for existing rule-10 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:- Substitution of rule-10

COLUMN-1 *Existing rules*	COLUMN-2 *Rules hereby substituted*
Age-A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 32 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years or may be specified.	Age-A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years or may be specified.

7. In the said rules, for existing rule-15 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:- Substitution of rule-15

COLUMN-1 *Existing rules*	COLUMN-2 *Rules hereby substituted*
Procedure for direct recruitment- (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed form published in the advertisement issued by the Commissioned. (2) After the results of the written examination has be received and tabulated the Commission shall having regard to the need for securing due representative of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule-6, summon for interview such number of candidates as on the result of the written examination have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate in the Interview shall be added to the marks obtained by him, in the written examination. (3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend, such number of candidates as they consider fit for appointment. If two	**Procedure for direct recruitment-** Direct recruitment to the post of Social Welfare Supervisor in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' posts (mode and Procedure) Rules, 2015 as amended from time to time.

COLUMN-1 *Existing rules*	COLUMN-2 *Rules hereby substituted*
or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of candidate obtaining higher marks in the written examination, shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.	

Substitution of rule-20

8. In the said rules, for existing rule-20 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rules*	COLUMN-2 *Rules hereby substituted*
Scale of pay- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The scale of pay at the time of commencement of these rules are as given below:-	**Scale of pay-** (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The scale of pay at the time of commencement of these rules are as given below:-

Name of the posts	Scale of pay
Social Welfare Supervisor	950-20-1150-EB-25-1500

Name of the posts	Scale of pay
Social Welfare Supervisor	Pay matrix level-3 21,700-69,100

Omission of rule-22

9. In the said rules *for* existing rule-22 shall be *omitted*.

By order,
L. VENKATESHWAR LU,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 55 राजपत्र–2025–(161)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 समाज कल्याण–2025–(162)–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/डी0टी0पी0/ऑफसेट)।